न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
(बईजलास श्री दिवांशु शर्मा आर. ए. एस.)

प्रकरण संख्या – 68/**2020** प्रार्थनापत्र एलआर
दायर दिनांक – 2/6/2020
निर्णय दिनांक – 01/10/2020

अनवान

1. महावीर पिता गोगल जाट निवासी रायला तह. बनेडा जिला भीलवाडा ।

........प्रार्थी

बनाम

1. गोपाल पिता रामकरण जाट निवासी रायला तह. बनेडा जिला भीलवाडा ।
2. रामेश्वर पिता रामकरण जाट निवासी रायला तह. बनेडा जिला भीलवाडा ।
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब बनेडा जिला भीलवाडा ।

.... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :::– श्री कृष्णकुमार जीनगर वकील प्रार्थी

–:आदेश:–

दिनांक 01.10.2020

1. प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम रायला पटवार हल्का रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की खाता संख्या 1054 का आराजी संख्या 90/1, 652/2, 653, 663, 1376 कुल किता 5 रकबा 6–16 बीघा भूमि दर्ज रिकॉर्ड है जिसके कोई पुख्ता सीमाचिह्न नहीं होने की वजह से पड़ौसियान से अकसर विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने पड़ौसान से अपनी आराजियात बाबत् पत्थरगढ़ी कराने के लिए कहा किन्तु उनके द्वारा इन्कार कर दिए जाने से यह प्रार्थनापत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान किया जावे ।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये समन तलब किया गया । विपक्षीगण बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं । इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए ।

3. मामले मे प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रार्थी उक्त आदेश की चरण सं. 1 में वर्णित आराजियात का खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

–:: आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रायला पटवार हल्का रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की खाता संख्या 1054 का आराजी संख्या 90/1 , 652/2 , 653 , 663 , 1376 कुल किता 5 रकबा 6–16 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात समस्त पड़ौसान के किये जाने का आदेश पारित किया जाता है । उक्त आदेश की पालना मे तहसीलदार बनेडा को 700/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकारान को पूर्व मे सूचित कर उनकी उपस्थिति मे पत्थरगढी की जावे । कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा